न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : हरि मोहन मीना, आई0ए0एस0

(Bank Case)

प्रकरण संख्याः– 68 / 2022

आईसीआईसीआई बैंक रजिस्टर्ड कार्यालय, आईसीआईसीआई बैंक टावर, चाकली सर्किल के पास, पुराना पाडरा रोड, वडोदरा –390007, गुजरात एवं कारपोरेट कार्यालय– ICICI टावर्स, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, मुम्बई– 400051 तथा जिसकी एक शाखा कार्यालय– ICICI बैंक लिमिटेड प्रथम तल, इण्डस्ट्रीयल एस्टेट एरोड्राम सर्किल कोटा राजस्थान– 324007 में स्थित है व कार्यरत है जरिये प्राधिकृत अधिकारी– गौरव गुप्ता ।

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. राम किशन वर्मा (ऋणी)
   पता– 33–ए, तलवण्डी, कोटा राजस्थान–324005
   दूसरा पता– पेन्टहाउस ऑन ब्लॉक नं. ए एवं बी, नवीं मंजिल, अशीर्वाद आनन्दम, प्लॉट नं. सी–2, बालाजी मार्केट, कोटा राजस्थान–324005
2. रामकिशन वर्मा मैसर्स विनम्र इन्टरप्राईजेज (ऋणी)
   पता– सी–150 ए, इन्द्रप्रस्थ इण्डस्ट्रीयल एरिया रोड नं. 5, कोटा राजस्थान – 324005
3. सुनीता वर्मा (सहऋणी)
   पता– 33–ए, तलवण्डी, कोटा राजस्थान–324005
   पता– पेन्टहाउस ऑन ब्लॉक नं. ए एवं बी, नवीं मंजिल, अर्शीवाद आनन्दम, प्लॉट नं. सी–2, बालाजी मार्केट, कोटा राजस्थान–324005

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्र्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–
श्री अमर सिंह नरूका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 17-5-.2022

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ''आईसीआईसीआई बैंक" रजिस्टर्ड कार्यालय, आईसीआईसीआई बैंक टावर, चाकली सर्किल के पास, पुराना पाडरा रोड, वडोदरा – 390007, गुजरात एवं कारपोरेट कार्यालय– आईसीआईसीआई टावर्स, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, मुम्बई – 400051, जिसकी एक क्षेत्रीय कार्यालय– आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड प्रथम तल, इण्डस्ट्रीयल एस्टेट एरोड्राम सर्किल कोटा राजस्थान– 324007 में स्थित है व कार्यरत है से अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 20.03.2017 को जरिये खाता संख्या LBKOT00003398072 में 2,15,00,000/– रूपये (अक्षरः दो करोड़ पन्द्रह लाख रूपये मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थी ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **श्री राम किशन वर्मा की सम्पत्ति पेन्टहाउस ऑन ब्लॉक नं. ए एवं बी, नवीं मंजिल, अशीर्वाद आनन्दम, प्लॉट नं. सी–2, बालाजी मार्केट, कोटा राजस्थान – 324005 में स्थित हैं,** जिसका **कुल क्षेत्रफल 8627 वर्गफीट है,** को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज0)

दिनांक 07.06.2021 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी के खाते में 70,44,344 / — रूपये (अक्षरे सत्तर लाख चौवालीस हजार तीन सौ चौवालीस रूपये मात्र) बकाया रकम दिनांक 17.08.2021 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 17.08.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 17.08.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 17.08.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया, नोटिस प्राप्ति के क.. पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी / बंधककर्ता **श्री राम किशन वर्मा की सम्पत्ति पेन्टहाउस ऑन ब्लॉक नं. ए एवं बी, नवीं मंजिल, आशीर्वाद आनन्दम, प्लॉट नं. सी–2, बालाजी मार्केट, कोटा राजस्थान – 324005 में स्थित हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 8627 वर्गफीट है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 17-05-.2022 को सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)
जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)